AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF:1.048(I2OR) & 3.125 (IIFS)
Vol (2), Issue (3), Oct-Dec 2025 ISSN: 3048-7951

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों की वैश्विक नागरिकता की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ० सुनील कुमार दूबे[1] और डॉ० रश्मि श्रीवास्तव[2]

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17516370

Review:05/10/2025, Acceptance:25/10/2025 Published:03/11/2025

सारांश: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक व्यापक और दूरदर्शी नीति है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसमें वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि शिक्षा केवल शैक्षिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि यह छात्रों में समावेशी, सहिष्णुता, सहयोग, पर्यावरण चेतना और नैतिक मूल्य जैसे गुणों का विकास भी करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन सतत् विकास, मानव अधिकार और अंतर-सांस्कृतिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर बल देती है इसके अलावा बहुभाषिकता, डिजिटल-साक्षरता, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा को भी वैश्विक नागरिकता के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में वैश्विक नागरिकता की अवधारणाओं को शामिल करने और पाठ्यचर्या को उसी के अनुरूप डालने का भी प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वसुधैव कुटुंबकम् की भावना को साकार करते हुए छात्रों को 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करने में सहायक सिद्ध हो जिससे विद्यार्थी जिम्मेदार और संवेदनशील वैश्विक नागरिक बन सके। अतःप्रस्तुत शोध पत्र में उच्च शिक्षा संस्थान के शिक्षकों के द्वारा वैश्विक नागरिकता के विकास हेतु किए जाने वाले प्रयासों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए प्रमुख सुझावों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य बिन्दु: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, वैश्विक नागरिकता की शिक्षा एवं शिक्षक

भूमिका: वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीई) एक आधुनिक धारणा है जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व परिवर्तन, अन्योन्याश्रय और विविधता के संदर्भ में विद्यार्थियों को जीने और कार्य करने के लिए तैयार करना, विश्व के नागरिकों के साथ समायोजन करना एवं वैश्वीकरण प्रक्रिया के विकास को बढ़ावा देना है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक नागरिकता की शिक्षा 21वीं सदी की चुनौतियों को जानने की कुंजी है । वैश्विक नागरिकता की शिक्षा का प्रारंभिक ध्यान वैश्विक मुद्दों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों में व्यावहारिक समाधान खोजने में शिक्षा के प्रभाव की पहचान करना है । वैश्विक नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को वैश्विक चुनौतियों को दूर करने और शांतिपूर्ण एवं समावेशी दुनिया में सक्रिय नागरिक बनने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है और यह सतत विकास शिक्षा से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक है। यह तीन उद्देश्यों को बढ़ावा देता है:

[1] डॉ० सुनील कुमार दूबे , सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, रमेश चन्द्र शहरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, टांगला, गुहाटी विश्वविद्यालय, असम : 784521, Sunil01rcsttc@gmail.com, दूरभाष: 9452601052

[2] डॉ० रश्मि श्रीवास्तव, सहायक आचार्या, शैक्षिक अध्ययन विभाग, महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार : 845401, ईमेल: rashmisrivastava@mgcub.ac.in, दूरभाष: 7355954640

क. सभी के लिए सम्मान विकसित करना,

ख. सामान्य मानवता की भावना का निर्माण करना,

ग. शिक्षार्थियों को जिम्मेदार और सक्रिय वैश्विक नागरिक बनने में मदद करना।

वैश्विक नागरिकता शिक्षा में तीन मुख्य वैचारिक आयाम शामिल हैं:1. संज्ञानात्मक 2. सामाजिक-भावनात्मक 3. व्यवहार, जो की परस्पर सम्बन्धित है (यूनेस्को, 2017)।

1. संज्ञानात्मक: संज्ञानात्मक, यानी ज्ञान और सोच कौशल जो दुनिया और इसकी जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं । स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक के बारे में ज्ञान, समझ, महत्वपूर्ण सोच को नागरिकों की परस्पर निर्भरता और अन्योन्याश्रयता प्राप्त करने के लिए तैयार करना।

2. सामाजिक-भावनात्मक: मानवता से सम्बन्धित होने की भावना रखने के लिए मूल्यों और जिम्मेदारियों को साझा करना, सहानुभूति, एकजुटता, मतभेदों एवं विविधता के लिए सम्मान के लिए तैयार करना। सामाजिक और दृष्टिकोण कौशल जो शिक्षार्थियों को भावनात्मक, मनोंसामाजिक और शारीरिक रूप से विकसित करने और उन्हें दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक और शांति से रहने में सक्षम बनाते हैं।

3. व्यवहार: स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यवहार यानी आचरण, प्रदर्शन, व्यावहारिक अनुप्रयोग, जुड़ाव एवं शांतिपूर्ण शिक्षा के लिए प्रभावी और जिम्मेदारी से कार्य करना।

भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व(1950) भारतीय संविधान अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि अन्तरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि कर राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने में अपना योगदान देगें। भारत का प्रत्येक नागरिक अन्तराष्ट्रीय विधि एवं संधि का सम्मान करेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने में योगदान देगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) के अनुसार "उच्च शिक्षा के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करे एवं उसमें योगदान दें, चरित्र निर्माण कर सकें, प्रजातान्त्रिक मूल्यों-समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व और न्याय का संरक्षण एवं संवर्धन कर सके, विश्वबंधुत्व और अन्तराष्ट्रीय सद्भावना तथा अध्यात्मिक विकास कर सके। राममूर्ति समिति (1990) ने प्रासंगिक रूप से इंगित किया था कि शिक्षा को चरित्र निर्माण, श्रम की गरिमा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के लिए मूल्य के साथ विकसित किया जाना है ।राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रुपरेखा (2005) वैश्विक नागरिकता की शिक्षा की जरुरत को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में इतने महत्वपूर्ण विषयों को समाहित करने पर बल दिया और सभी डिप्लोमा एवं शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में नागरिकता शिविर को अनिवार्य अंग बनाये जाने सुझाव दिया । उसका मानना है, कि प्रत्येक शिक्षक को नागरिकता की शिक्षा की भली-भाँति जानकारी हो जिससे कि वह कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को जागरूक नागरिक बना सके। यूनेस्कों (2015) ने सतत विकास के निर्धारित 17 लक्ष्यों में नागरिकता की शिक्षा को महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया गया है। उसका मानना है कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक जीवन में एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है । शिक्षा ही सम्पूर्ण विश्व को बंधुत्व की भावना से बाँध सकता है ।

शोध अध्ययन का औचित्य: शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का हृदय होता है, कोठारी आयोग (1964 -1966) के अनुसार "भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है।" अतः यह जरूरी है कि उसकी कक्षाओं में

पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न-भिन्न प्रकार के नागरिक गुणों से युक्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विद्यार्थियों को वैश्विक चुनौतियों से अवगत कराने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में वैश्विक नागरिकता शिक्षा के तत्वों को शामिल करने के बारे में चर्चा की ग। वैश्विक नागरिकता शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगो को न्याय, समानता और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जागृत करती है। यूजीसी (2021) ने 'उच्च शिक्षा में वैश्विक नागरिकता के लिए शैक्षिक ढांचा' विकसित किया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद(2022) ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रुपरेखा के लिए एक जनादेश दस्तावेज तैयार किया और वैश्विक नागरिकता शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार रूपरेखा तैयार करने पर भी जोर दिया। समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है। शिक्षा में शिक्षकों की अहम भूमिका होती हैं। विद्यार्थियों को ज्ञान सामग्री हस्तांतरित करने के अलावा, शिक्षकों से एक ऐसा वातावरण बनाने की अपेक्षा की जाती है जो सीखने के लिए अनुकूल हो और अपने छात्रों को तेजी से बदलती और परस्पर जुड़ी दुनिया में उत्पादक, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करे।

वैश्विक नागरिकता की शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षकों को वैश्विक नागरिकता की शिक्षा के सभी अवयवों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना (2009) ने शिक्षा के पुनर्निर्माण पर विस्तृत सिफारिशें कीं और समझाया कि शिक्षकों को मानवता और बहुलवादी दृष्टिकोण के सन्दर्भ में नागरिकता शिक्षा को समझने की अत्यंत आवश्यकता है।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) ने प्रस्तावित किया कि भारत ने हमेशा दूसरे राष्ट्रों के साथ उचित व्यवहार किया है और पूरे विश्व को एक राष्ट्र के रूप में मानते हुए, राष्ट्रों के बीच शांति बनाने में मदद करता है, इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए व और अगली पीढ़ियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए इसकी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय की जरूरत है कि विश्व का प्रत्येक नागरिक वैश्विक बंधुत्व की भावना को भी समझे और जाने जिससे कि वह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य बिठा सकें। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक ही एकमात्र केंद्र बिंदु होता है जो विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के मूल्यों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विकास करता है विभिन्न प्रकार के मूल्यों से युक्त विद्यार्थियों के विकास करने के लिए वैश्विक नागरिकता के गुणों से युक्त शिक्षकों की आज बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों द्वारा वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को विद्यार्थियों में विकसित करने हेतु उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किये जा रहे है जो वैश्विक नागरिकता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 किस प्रकार वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को विकसित करने में योगदान कर रहा है।

समस्या कथन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों की वैश्विक नागरिकता की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन ।

परिभाषिक शब्दावली:

1. **उच्च शिक्षण संस्थान: यह** प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद का उच्च स्तर होता है जो प्राय:ऐच्छिक होता है।

2. **वैश्विक नागरिकता की शिक्षा:** विश्व स्तर पर नागरिकों को अपने कर्तव्यों, मूल्यों, अधिकारों तथा मानवीय व्यवहारों की समझ होना
3. **जागरूकता:** वैश्विक स्तर पर अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग व्यक्ति, जिसमें परखने और निर्णय लेने की क्षमता हो, जो तथ्यों की जानकारी रखनेवाला हो।
4. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020-** शिक्षा का राष्ट्रीय दस्तावेज, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सभी पहलू पर सुझाव देना है।

शोध के प्रश्न:

1. उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों में वैश्विक नागरिकता की शिक्षा की जागरूकता को विकसित करने में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं?
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित करने पर क्यों बल दे रहा है?

शोध के उद्देश्य:

1. उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों की वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को विद्यार्थियों में विकसित करने हेतु उनके द्वारा अपनाई जाने वाली युक्तियों का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित करने हेतु दिए गए सुझावों का अध्ययन करना।

प्रविधि: प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा शोध के स्वरुप वर्णनात्मक शोध विधि एवं विषय वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है ।

जनसँख्या: प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को जनसंख्या के रूप में लिया गया है ।

प्रतिदर्श चयन प्रणाली एवं प्रतिदर्श: वाराणसी जिले के के माध्यमिक विद्यालय से 10प्रधानाचार्य तथा 30 शिक्षकों को उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श चयन प्रणाली के माध्यम से प्रतिदर्श में शामिल किया गया है ।

शोध उपकरण: प्रस्तुत शोध प्रपत्र हेतु शोधार्थी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित करने हेतु दिए गए सुझावों का अध्ययन करने हेतु विषय वस्तु विश्लेषण तथा शिक्षकों की वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को विद्यार्थियों में विकसित करने हेतु उनके द्वारा अपनाई जाने वाली युक्तियों को जानने हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार सूची का निर्माण कर आँकडों को प्राप्त किया गया।

उद्देश्य 1: उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों की वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को विद्यार्थियों में विकसित करने हेतु उनके द्वारा अपनाई जाने वाली युक्तियों का अध्ययन करना ।

परिणाम: प्राप्त आकड़ों के आधार पर वैश्विक नागरिकता शिक्षा को विकसित करने के लिए 40 में से 15% शिक्षकों ने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में आतंकवाद को शामिल करने के लिए कहा, 16% शिक्षकों ने गरीबी स्वस्थ्य, वैश्विक व्यापार और संबंध को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया है, 24 % शिक्षकों ने

पाठ्यक्रम में नीति निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन की रुपरेखा को शामिल करने के लिए कहा, 35% शिक्षकों ने पुनः पाठ्यक्रम में मानव मूल्यों और मानवधिकारो आदि पर विशेष बल देने की बात की,अहिंसा एवं शांति की शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर मानव के अधिकारों को महत्व देने का सुझाव दिया, 17 % शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में भारतीय एवं विदेशी दार्शनिकों को विचारधारा को शामिल करने के लिए कहा, 12 % शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में शांति, सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत को शामिल करने की बात कही, 01% शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में उपनिषद के ज्ञान को शामिल करने के लिए कहा, 22% शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में समानता और बंधुत्व की भावना को शामिल करने के लिए कहा, 18 % शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में छात्रवृति के माध्यम से विद्यार्थियों को अलग-अलग विश्वविद्यालय में दिए जाने की बात कही गई। 13% शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में मातृभाषा पर बल,वेदों के मूल सिद्धांत, नीति और आचार की शिक्षा को शामिल करने के लिए कहा, 14% शिक्षक ने शांति हेतु पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा एवं गीता को शामिल करने को कहा जिससे चरित्र का निर्माण हो, 11% शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक शिक्षा को शामिल करने के लिए कहा, 12 % शिक्षकों ने पर्यावरणीय शिक्षा तथा 25% शिक्षकों ने सतत विकास के मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा 15% शिक्षकों ने प्रत्येक स्तर पर विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा, 13% शिक्षकों के द्वारा वैश्विक चुनौतियों और मुद्दों पर स्थानीय रूप से कार्य करने की बात कहा। इसके अतिरिक्त प्राप्त आंकड़ों के परिणाम के आधार पर विधार्थियों में वैश्विक नागरिकता शिक्षा को विकसित करने के लिए शिक्षकों अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न विषयों के शिक्षकों भारतीय दर्शन पर कार्यशाला करवाना, खेल विधि, समसामयिक मुद्दों पर संवाद विधि, प्रोजेक्ट विधि, भ्रमण विधि, मौखिक संवाद और कंप्यूटर के द्वारा पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय सेमिनार, कांफ्रेंस, वर्कशॉप इत्यादि का प्रयोग करते है परन्तु प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को विकसित करने के लिए बेहद कम शिक्षक नगण्य प्रयास करते है अत: कहा जा सकता है कि शिक्षक कभी कभी ही कक्षा के वैश्विक मुद्दों पर परिचर्चा करते हैं अत: कहा जा सकता है कि शिक्षक वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपरोक्त विभिन्न प्रकार के युक्तियों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते है ।

उद्देश्य 2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित करने हेतु दिए गए सुझावों का अध्ययन करना ।

परिणाम: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है इस नीति का उद्देश्य न केवल भारत की सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर बल देना, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने तथा विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के गहन अध्ययन करने के पश्चात् वैश्विक नागरिकता की शिक्षा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित करने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी बहु-आयामी शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव करती है, इसके अंतर्गत न केवल विषयगत ज्ञान बल्कि

समावेशिता, सहिष्णुता, वैश्विक संस्कृति की समझ और अंतर सांस्कृतिक-संवाद कौशल को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैश्विक नागरिकता की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल जैसे आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान कौशल, संवाद व सहयोग क्षमता, डिजिटल साक्षरता व पर्यावरण और सामाजिक चेतना का विकास को परंपरागत शिक्षण प्रणाली में समाहित करने का सुझाव दिया है प्रस्तुत सभी विषय विद्यार्थी को वैश्विक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, मानव अधिकार और शांति शिक्षा के बारे में समझ विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्थानीय भाषाओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (जैसे कोरियाई, जापानी,थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिस, पुर्तगाली और रुसी) के ज्ञान पर भी जोर दिया गया है यह वैश्विक मंच पर संवाद करने और विविध संस्कृतियों को समझने के लिए बहुत आवश्यक है इससे छात्रों में, वैश्विक संदर्भों में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। मातृ-भाषा, स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित एवं बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (IITI) के माध्यम से विदेशी और भारतीय भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप एक दुसरे को लोग अच्छे से जान पाएंगे।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों के उपयोग से विद्यार्थियों को वैश्विक घटनाओं, विचारों और नवाचार से जोड़ने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देती है जो कि वैश्विक नागरिकता के दृष्टिकोण को सशक्त बनाती है।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में नैतिकता, करुणा, और सहानुभूति जैसे मूल्यों की शिक्षा के केंद्र में रखने की सिफारिश की गई है इन गुणों के माध्यम से छात्रों में एक वैश्विक दृष्टिकोण सह-अस्तित्व और समग्र मानवता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में यह सुझाव दिया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए,जिससे छात्र और शिक्षक वैश्विक शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सकें जो विद्यार्थियों की वैश्विक संदर्भ में सीखने और कार्य करने का अनुभव प्रदान करेगा।
7. वैश्विक नागरिकता की शिक्षा में नवाचार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में यह बताया गया है कि प्रासंगिक चरणों में समसामयिक विषयों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा, आदि जैसे विषयों को प्रारंभ सभी स्तरों पर किया है जिससे विद्यार्थियों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने हेतु समुचित शिक्षा-क्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय कदम उठाए जायेगें।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में नीति के संदर्भ में बताया गया है कि समग्र और बहु - विषयक शिक्षा के विचार को वास्तविकता पर लाने के लिए सभी उच्च शिक्षा की नवीनता अपनाकर पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य -आधारित शिक्षा के क्षेत्र को शामिलकिया जाना चाहिए।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा यह बताया गया है कि शिक्षा में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है शिक्षकों को उचित ज्ञान के साथ-साथ कक्षा में वैसे शिक्षकों को लाना होगा जिनके पास विषय से सम्बन्धित ज्ञान हो एवं प्रभावी कक्षा प्रबंधन का कौशल, उदार दृष्टिकोण, सहिष्णुता, धैर्य, सहानुभूति इत्यादि गुणों का समावेशन होना चाहिए। शिक्षकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से अवगत कराने के लिए निरंतर प्रशिक्षण भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है । जिससे कि वे कक्षा में वैश्विक नागरिकता के गुणों को विद्यार्थिओं में विकसित कर सके ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मजबूती से स्थापित करने का प्रयास करती है यह नीति विद्यार्थियों को न केवल अच्छे नागरिक के रूप विकसित करने का लक्ष्य रखती है बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर उत्तरदायी, सहिष्णु और नवाचारी नागरिक बनाने का भी मार्ग प्रशस्त करती है इस प्रकार यह नीति 'वसुधैव कुटुंबकम्' के आदर्श को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ।

निष्कर्ष: वैश्विक नागरिकता की शिक्षा 21वीं सदी की परिवर्तनकारी शिक्षा है जिसमें कौशल एवं दक्षताओं की एक श्रृंखला शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। यूनेस्को ने वैश्विक नागरिकता शिक्षा के पाठ्यक्रम को अलग विषय के रूप में नहीं अपनाया है बल्कि इसे प्री-नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा में शामिल किया है। सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा में वैश्विक नागरिकता शिक्षा को शामिल करते हुए औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक क्षेत्र में स्थान दिया है। वैश्विक नेतृत्व को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने और उपयुक्त शिक्षा शास्त्रों का उपयोग करने के लिए उन लक्षणों और गुणों को समझना उपयोगी है जो वैश्विक नागरिकता की शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों में विकसित करता है। उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को वैश्विक नागरिकता तथा सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति सजग एवं सम्पूर्ण समझ विकसित करनी होगी जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को भविष्य के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही साथ शिक्षकों को विद्यार्थियों को आलोचनात्मक रुप से साक्षर करना होगा जिससे वैश्विक शासन प्रणालियों, संरचनाओं और मुद्दों का ज्ञान, वैश्विक और स्थानीय चिंताओं के बीच अन्योन्याश्रेयता और संबंधों को समझना, नागरिक साक्षरता में ज्ञान एवं कौशल को शामिल करना, सीखने के लिए लगातार प्रयास करना, समाज एवं विविधता का सम्मान करना होगा। साथ ही साथ विद्याथियों में आत्मज्ञान, आपसी संबंध एवं समायोजन की समझ को विकसित किया जा सकता है तथा मानव-मूल्यों की समझ, अंतर और विविधता की सराहना को विकसित करना, विविधता और समानता के मध्य संबंधो को समझना और नैतिक मूल्यों का विकास करना होगा जिससे मानव में पर्यावरणीय मूल्य, व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों,सामुदायिक क्रियाकलापों को विकसित करना, नैतिक और शांतिपूर्ण माध्यम से एक बेहतर दुनिया में योगदान करने के लिए कौशल विकसित होगा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भी सतत विकास के लक्ष्यों को समाहित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से वैश्विक

नागरिकता शिक्षा के प्रत्येक आयामों को अपनाते हुए भविष्य के लिए तैयार किया है। जिसमें शिक्षकों की प्रशिक्षण के माध्यम से वैश्विक नागरिकता शिक्षा को दिया जा सकता है जिससे भविष्य में हम सब वैश्विक बंधुत्व की भावना को विकसित कर सकें।

सन्दर्भ सूची

- **केर्लिंगर, एफ. एन. (1973).** फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च. दूसरा संस्करण, होल्ट, राइनहार्ट और विंस्टन https://home.ubalt.edu/tmitch/kerlinger.htm
- **लाल, आर. बी. पलोड़, एस, पी.(2008).** भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, मेरठ,लाल बुक डिपो।
- **पाठक, पु०. (2011).** इनफ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ़ सिटीजनशिप क्वालिटीज अमोंग हायर सेकेंडरी स्टूडेंट. https://new.bhu.ac.in/Images/files/Suvvey%20of%20Researches%20in%20Education-Volume-I%20(E-Book).pdf
- **दबास. एम० एस० प्रो० (2014).** एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप इन डेमोक्रेसी: एन एक्सप्लोरेट्री स्टडी *(डॉक्टोरल डिसर्टेशन, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान)*। https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/139663
- **दवे, पी० वी० (2014).** सिटीजनशिप अंडरस्टैंडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट इन रिलेशन टू सर्टेन वेरिएबल डॉक्टोरल डिसर्टेशन, सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/34787
- **यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. (2015**). मानव विकास सूचकांक, https://sdgs.un.org/un-system-sdg-implementation/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization-unesco.
- **यूनेस्को, (2017).** *इंस्टिट्यूट ऑफ़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग* । https://uil.unesco.org/adult-education/citizenship-education
- **बेसल एस. & तनरिसेवें ई. (2020).** ग्लोबल सिटीजनशिप: फ्रॉम द लेंस ऑफ़ द एजुकेशन फैकल्टी इंस्ट्रक्टर. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन,* 16(5),106-120. **https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.277**
- **अन्द्रेव्स, & अय्दीन. (2020).** प्री-सर्विस टीचर्स परसेप्शन ऑफ़ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन इन द सोशल स्टडीज करिकुलम. *जर्नल ऑफ़ सोशल स्टडीज एजुकेशन रिसर्च*, 11(4), 84-113. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1281589.pdf
- **मानव संसाधन मंत्रालय (2020).** राष्ट्रीय शिक्षा नीति *https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf.*
- **यूजीसी, (2021).** *एजुकेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप इन हायर एजुकेशन.* https://www.ugc.ac.in/e-book/GCED%20Book_WEB.pdf